प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ,
निर्वाचन भवन, भोपाल।

विषय:— विधान सभा निर्वाचन कार्य के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण हेतु संक्षिप्त दिशा—निर्देश।
संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक फाँ. क 7(3)/4/निर्वाचन संचालन/2020/Nodal Officer/4343 भोपाल, दिनांक 19.08.2020

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रदेश में 27 विधान सभा क्षेत्रों में शीघ्र ही उप चुनाव संभावित है। कोविड-19 को दूर स्तित रखने हेतु आगामी विधान सभा उप चुनाव की सूचना रूप से करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप में निर्वाचन हेतु Sop/Guideline आपकी ओर प्रसिद्ध है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(झ. संजय गोयल)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश
विधान समा निर्वाचन कार्य के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण मुक्त वातावरण बनाये रखने के लिए बचाव व रोकथाम हेतु संक्षिप्त दिशा-निर्देश

वर्तमान में आगे वाले विधान समा उप निर्वाचन के कार्य के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) के बचाव व रोकथाम हेतु निम्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना निलंबी आवश्यक हैः

01. निर्वाचन कार्य के दौरान पोलिंग बूथ निर्धारित स्थान पर रखे जाएं। यह स्थान संपत्ति खुले हवादार कक्ष में हो तथा जहां हवा का आगमन एवं निर्गमन आसानी से हो।

02. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर यथासंभव आगमन एवं निर्गमन हेतु पृथक-पृथक द्वार स्थापित किए जाएं। यदि कोई ही प्रवेश द्वार हो तो बैरिकेडिंग कर आगमन एवं निर्गमन हेतु पृथक-पृथक पंक्ति निर्मित की जाये।

03. निर्वाचन कार्य के दौरान पोलिंग एजेंट के बीच कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।

04. समस्त व्यक्तियों के दौरान निर्वाचन कार्य के दौरान पूरे समय अनिवार्य रूप से मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग किया जाये।

05. निर्वाचन कार्य के दौरान विभिन्न स्थानों पर हाथ धोने की व्यवस्था (वाशबेसिन, साबुन तथा पेपर नेपकिन) तथा एल्कोहल बेरस (स्नूनतम 70 प्रतिशत) सेंट्राइजर उपलब्ध कराये जाये। पेपर नेपकिन के निरस्तरण हेतु ठककन वाला लिटरबिंच का उपयोग किया जाये।

06. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर आगे वाले समस्त आगनुकों की मेडिकल टीम द्वारा अंतरित स्क्रीनिंग की जाये तथा सेंट्राइजर उपलब्ध कराया जाये। स्क्रीनिंग के दौरान कोविड-19 से संक्रमित समावित व्यक्तियों का प्रवेश की अनुमति न दी जाये। यदि अतंतवाश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पृथक से निर्वाचन कक्ष का उपयोग किया जाए, जहां पर समस्त निर्वाचन कार्य में लगे अन्य अधिकारियों द्वारा पीपीई किट का उपयोग कर कार्य किया जाये।

07. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर आगे वाले समस्त आगनुकों में से किसी व्यक्तियों में बुखार एवं सर्दी-सूक्ष्म के लक्षण प्रतिक होते हैं तो आवश्यकतानुसार उनका कोविड-19 जांच हेतु सेंकम लिये जाये।

08. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर बोटिंग हेतु लगने वाली कक्ष में परस्पर दूरी कम से कम 01मीटर होना अनिवार्य है। इस हेतु मार्किंग की जाये।

09. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर पेपरजल की व्यवस्था हेतु संभवत: डिस्पोजेबल पेपर ग्लास का उपयोग किया जाए। डिस्पोजेबल पेपर ग्लास के निरस्तरण हेतु ठककन वाला लिटरबिंच का उपयोग किया जाये।

10. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा स्थल पर बैठक व्यवस्थाओं में परस्पर दूरी कम से कम 01 मीटर होना अनिवार्य है।

[Signature]
11. भीड एकमत्रता न हो उसके लिए मतदाताओं की वोटिंग के लिए कम से कम दो कतारे बनाई जाएँ।

12. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर उपयोग होने वाली सामग्री जैसे सील, स्टाफ़ पेंड, बैलेट पेपर, स्केल, स्थापी की शीशी इत्यादि जैसी सामग्रियों को प्रत्येक बार के उपयोग के उपरांत एल्कोहल बेरड (न्यूनतम 70 प्रतिशत) सेलेटाइजर से अच्छी तरह से विस्फोटित किया जाएँ।

13. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल हेतु हवादार स्थान का चयन किया जाये। इन स्थानों पर संभवतः एक्जॉर्स्ट पैन का उपयोग किया जाये।

14. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर दरवाजाओं के हेडल, हेडरेल, बेंच बो 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से विस्फोटित किया जाये।

15. निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल के समस्त शौचालय की निरंतर सफाई साफ़—सफाई की जाना सुनिश्चित करें।

16. निर्वाचन कार्य में दर्जे अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से विस्फोटित किया जाये एवं उनके लिए पार्किंग व्यवस्था मतदाता स्थल के भीतर की जाये।

17. मतदान हेतु स्वयं के वाहनों से आने वाले मतदाताओं के लिए उनके वाहन को पार्किंग व्यवस्था मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी पर की जाये।

18. मतदान हेतु आने वाले मतदाता जिनकी आयु 65 वर्ष एवं उससे अधिक है एवं जिन्हें अन्य कई बीमारियों जैसे डायबिटीज़/हाउपरटेशन/हृदय रोग/किंडनी आदि की बीमारियों से ग्रसित है तो उन्हें विशेष साक्षात्कार बोलने की सलाह दी जाएँ।

Deputy Director [IDSP]
फ. क. 7(3)/4/निर्वाचन संचालन/2020/Nodal Officer/4343 भोपाल, दिनांक 19.08.2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
स्वास्थ्य विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- विधान सभा उप निर्वाचन, 2020 - कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रचलित निर्देशों के तालमेल हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।
संदर्भ :- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट दिनांक 18.08.2020

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रदेश में 27 विधान सभा क्षेत्रों में शीघ्र ही उप चुनाव संभालता है। कोविड-19 को दूर रखने के लिए आगमी विधान सभा उप चुनाव को सुगम रूप से करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन हेतु SoP/Guideline दिनांक 20.08.2020 तक उपलब्ध कराने का कार्य करें।
संलग्न :- प्रेस नोट

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश
Press Release

The matter of issuing broad guidelines for General/Bye Elections during COVID-19 period was discussed in the Commission meeting today. Commission considered the views/suggestions given by the Political Parties. It also considered the suggestions/recommendations made by Chief Electoral Officers of States/UTs. After considering all these, Commission directed to frame broad guidelines, taking into account MHA/MOHW guidelines on COVID-19, within three days. Commission directed that on the basis of these guidelines, Chief Electoral Officers of the election going States shall also prepare a comprehensive plan for State/district concerned for COVID-19 related measures, keeping in view, the local conditions, during the conduct of elections.

(Pawan Diwan)
Under Secretary